20-4-17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर कथन किया कि इस वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में हो चुका है इस कारण इस पत्रावली में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को Not press किये जाने से प्रार्थना पत्र Not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली का नाम शुमार की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	Not press